न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/2104/2006/भरतपुर

हरभेजी पुत्री खुशीराम पत्नी उदयराम जात ब्राहमण विासी रामनगर तहसील कठूमर हाल आबाद ग्राम सिकरोरी

अपीलार्थी

बनाम

नन्दलाल पुत्र रोशन जाति हवासी ब्राहमण (मृतक)
1 रामजीलाल पुत्र नन्दलाल हैवासी ब्राहमण
2 नत्थीलाल पुत्र नन्दलाल हैवासी ब्राहमण निवासी रामनगर
3 प्रभूदयाल पुत्र जगराम जाति हैवासी ब्राहमण निवासी रामनगर
4 बलराम पुत्र जगराम जाति हैवासी ब्राहमण निवासी रामनगर
5 शिवराम पुत्र जगराम जाति हैवासी ब्राहमण निवासी रामनगर
तहसील कठूमर जिला अलवर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः श्री औंकारलाल दवे वकील अपीलार्थी
श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः.13.12.19

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या 139/2001 में पारित निर्णय दिनांक 28.5.2002 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी मृतक नन्दलाल वर्तमान प्रत्यर्थीगण के पूर्वाधिकारी ने एक वाद बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का सहायक कलक्टर, कठूमर के न्यायालय में प्रस्तुत कर विेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 474 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा जिसके साबिक खसरा नम्बर 356 ग्राम रामनगर स्थित है। वादपत्र में दिये गये सजरे के

अनुसार वादी ने कथन किया कि वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजी पैतृक है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य सम्वत 2020 से पूर्व फैमिली सैटलमेन्ट होकर बाहमी बंटवारा हो गया जिसके मुताबिक दिगर आराजीयात प्रतिवादीगण के हिस्से में आई एवं विवादित आराजी वादी के हिस्से में आई। जिसके अनुसार राजस्व कर्मचारियेां को वादी के नाम खातेदारी दर्ज करनी चाहिये थी परन्तु गलती से विवादित आराजी प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी जबकि सम्वत 2020 से वादी तन्हा काबिज काश्त चला आ रहा है। अतः वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादी ने राजीनामा प्रस्तुत कर वाद डिक्री करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30.8.91 से राजीनामा के मुताबिक वादी का वाद डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध वर्तमान अपीलार्थी हरभेजी पुत्री खुशीराम ने एक अपील मय धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में दिनांक 25.9.2001 को प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने दोनों पक्षो को सुनकर अपील लगभग 10 वर्ष से अधिक देरी से प्रस्तुत किया जाना मानते हुए अवधि बाधित होने से खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी अपीलार्थी के पिता खुशीराम की थी तथा खुशीराम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सोमोती एवं पुत्री अपीलार्थी हरभेजी के नाम दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने अकेली सोमोती के नाम दर्ज कर दिया जबकि अपीलार्थी का भी बराबर का हिस्सा था। वाद में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलार्थी प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार है। खुशीराम की प्रथमश्रेणी की वारिस होने से अपीलार्थी का हक व हिस्सा बनता है। वाद में पक्षकार नहीं होने से अपीलार्थी को निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी एवं जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की है। जिसे कन्डोन किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात पारिवारिक बंटवारे में वादी प्रत्यर्थीगण के हिस्से में आई। प्रतिवादी सोमोती के हिस्से की अन्य आराजी सैटलमेन्ट में उनके खाते दर्ज हो गई परन्तु विवादित आराजी वादी के नाम दर्ज नहीं की जाकर गलती से सोमोती के नाम दर्ज कर दी जिससे वाद प्रस्तुत किया गया एवं वाद में सोमोती द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। राजीनामा से पारित डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती। बदलती परिस्थिति में अपीलार्थी ने गलत भावना से निर्णय के 10 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की है एवं देरी का समुचित कारण नहीं बताया गया है जिससे प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप होने से अपील खारिज की जावे।

4. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. वादी मृतक नन्दलाल प्रयर्थीगण के पूर्वाधिकारी ने यह कहते हुए कि विवादित आराजी सम्वत 2020 में हुए पारिवारिक बंटवारा के अनुसार वादी के हिस्से में आई एवं प्रतिवादी के हिस्से में दिगर आराजीयात आई है। प्रतिवादी ने राजीनामा प्रस्तुत कर इस तथ्य को स्वीकार कर वाद डिक्री करने का निवेदन किया जिस पर विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30.8.1991 को वाद डिक्री किया है। इस निर्णय के 10 वर्ष से अधिक समय बाद अपीलार्थी ने जो कि सोमोती की पुत्री है एवं ससुराल रहती है, ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर जानकारी से अन्दर अवधि अपील मानकर देरी को माफ करने का निवेदन किया है।

6. यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सोमोती द्वारा वाद में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है एवं राजीनामा से वाद डिक्री किये जाने के 10 वर्ष बाद अपीलार्थी ने उसे चुनौति दी है जबकि सोमोती के जीवनकाल में उसे चुनौति नहीं दी गई है। अपीलार्थी हरभेजी ने स्वंय को सोमोती की पुत्री बताते हुए हक व हिस्सा होना क्लेम किया है परन्तु सोमोती द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को सोमोती के जीवनकाल में चुनौति नहीं दी गई। राजीनामा से वाद का निर्णय किया गया है जिसकी जानकारी अपीलार्थी को प्रतिवादी सोमोती की पुत्री है को 10 वर्ष जानकारी नहीं होना नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील 10 की देरी से प्रस्तुत की गई जाने से एवं देरी का समुचित कारण नहीं बताने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को अवधि बाहर मानकर खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है एवं हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं जिससे खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 28.5.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य